

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3967]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर १, २०११/अग्रहायण १८, १९४१

No. 3967]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4412(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नियम, 1985 के नियम 3 के अनुसरण में, भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर के रोल में शामिल व्यक्तियों को उक्त नियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अंतर्गत भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के लिए अपने समूह में से सदस्यों को चुनने के लिए आमंत्रित करती है।

[फा. सं. के-12052-7/2019-एलएच]

उपमन्य बस्, संयक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2019

S.O. 4412(E).—In pursuance of the rule 3 of the Indian Veterinary Council Rules, 1985, the Central Government hereby calls upon the persons enrolled in the Indian Veterinary Practitioners Register to elect members from amongst themselves for the Veterinary Council of India under clause (g) of sub-section (3) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) in accordance with the provisions of the said rules.

[F. No. K-12052-7/1/2019-LH]

UPAMANYU BASU, Jt. Secy.

6341 GI/2019